

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- गु0 अ0-4 (गु0) रा0 यो0-03-116/2019 - 2435

/पटना, दिनांक- 20/7/2020

प्रेषक,

संजय दूबे भा0 प्र0 रो0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।



विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के पटना जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, पटना के अधीन सम्पतचक प्रखंड के अधीन कृष्णा निकेतन रोड से पहाड़ी मोजाई बादशाही पैन मंजु देवी के घर तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 0.564 कि0 मी0 निर्माण हेतु रू0 46.199 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 5.098 लाख अर्थात् कुल राशि 51.297 लाख (एकावन लाख उन्तीस हजार सात सौ रुपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निर्देशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- 103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उप शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य के पटना जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, पटना के अधीन सम्पतचक प्रखंड के अधीन कृष्णा निकेतन रोड से पहाड़ी मोजाई बादशाही पैन मंजु देवी के घर तक पथ निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 0.564 कि0 मी0 निर्माण हेतु रू0 46.199 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 5.098 लाख अर्थात् कुल राशि 51.297 लाख (एकावन लाख उन्तीस हजार सात सौ रुपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना संबंधित योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड- 37-4515001030105 है, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 300.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पौंच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, पटना एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का व्ययन माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0- गु0 अ0-4 (गु0) रा0 यो0-03-116/2019 के पृ0 सं0-08/टि0 पर दिनांक 23.06.2020 को किया गया।
9. इस योजना के स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0-गु0 अ0-4 (गु0) रा0 यो0 03-116/2019 के पृ0 सं0-10/टि0 पर दिनांक 30.06.2020 को प्राप्त है।

10. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी।
11. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः राशि होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संधिका रां0- गु0 अ0-4 (गु0) रा0 यो0 03-116/2019 के पृ0 सं0-14/टि0 पर दिनांक 9.7.2020 को प्राप्त है।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनिर्धारित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित सगयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को सरागम तथा गुणवत्तापूर्वक संपन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
17. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDA के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वाराभाजन

16/7/2020

(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक- गु0 अ0-4 (गु0) रा0 यो0-03-116/2019 - 2435

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक-20/7/2020

16/7/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक- गु0 अ0-4 (गु0) रा0 यो0-03-116/2019 - 2435

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के अपर सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर ब्राडा/मुख्य अभियंता-1, पटना ग्रा0 का0 वि0/गु0 अ0-4 (मुख्यालय) ग्रा0 का0 वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या कम्पलेक्स पॉचवीं मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना, आई0 टी0 मैनेजर, ग्रा0 का0 वि0 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/2020

अपर सचिव

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

संज्ञक- गु0 अ0-4 (गु0) रा0 च0-03-101/2020 - 2437

पटना, दिनांक 20/7/2020

सेवा में

सकल दुखे गा0 रा0 से0
अवर सचिव।

सेवा में

नहालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।



विषय- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के पटना जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, पटना के अधीन सम्पतचक प्रखंड के एन0 एच0-30 नन्दलाल छपरा पथ से मनोहरपुर कछुआरा पथ के 800 मी0 एवं बादशाही नाला के 17.00वों कि0 मी0 पर 2x6.00x3.10 मी0 का पुलिया निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 2x6.00x3.10 मी0 (12.00m) निर्माण हेतु रू0 45.88 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 0.00 लाख अर्थात् कुल राशि 45.88 लाख (पैंतालिस लाख अठारसी हजार रुपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

नहालेखा,

निवेदमानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- 103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उप शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य के पटना जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, पटना के अधीन सम्पतचक प्रखंड के एन0 एच0-30 नन्दलाल छपरा पथ से मनोहरपुर कछुआरा पथ के 800 मी0 एवं बादशाही नाला के 17.00वों कि0 मी0 पर 2x6.00x3.10 मी0 का पुलिया निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 2x6.00x3.10 मी0 (12.00m) निर्माण हेतु रू0 45.88 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 0.00 लाख अर्थात् कुल राशि 45.88 लाख (पैंतालिस लाख अठारसी हजार रुपये) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना संबंधित योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विषय कोड- 37-4515001030105 है, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 300.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत मात्र के पर तयोंक तक ऑनलाईन प्रवेष्टि कराते हुए अर्थात्कम जगियता, कार्य अचल, पटना एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अंतर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का व्यय माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संज्ञक सं0- गु0 अ0-4 (गु0) रा0 च0-03-101/2020 के पृ0 सं0-04/टि0 पर दिनांक 23.06.2020 को किया गया।
9. इस योजना के स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संज्ञक सं0- गु0 अ0-4 (गु0) रा0 च0-03-101/2020 के पृ0 सं0-06/टि0 पर दिनांक 30.06.2020 को प्राप्त है।

10. बाड़ा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी।
11. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संविका सं०- मु० अ०-4 (मु०) रा० यो० 03-101/2020 के पृ० सं०-10/टि० पर दिनांक 9.7.2020 को प्राप्ता है।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्वित्तियोजित की गयी है अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर, कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को सरागम तथा गुणवत्तापूर्वक संपन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
17. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि R.A.I.D. के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्ति करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नावाडे को भेजी जाये।

विश्वरामाजन

16/7/2020

(सजय दूबे)
अपर सचिव

झापांक- मु० अ०-4 (मु०) रा० यो०-03-101/2020 - 2437

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक- 20/7/2020

16/7/2020

अपर सचिव

झापांक- मु० अ०-4 (मु०) रा० यो०-03-101/2020 - 2437

/पटना, दिनांक- 20/7/2020

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/उप विकास आयुक्त पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पार्ड ऑफिसर बाड़ा/मुख्य अभियंता 1, पटना ग्रा० का० वि०/मु० अ०-4 (मुख्यालय) ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, नावाडे, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (मौर्या कम्पलेक्स पॉवर्दी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना, आई० टी० मैनेजर, ग्रा० का० वि० को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मह

16/7/2020

अपर सचिव

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना ।

पत्रांक1157 (3730)...../पटना, दिनांक ..10/07/2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पटना ।

सेवा में,

I.T. Nodal (MIS)
BRRDA, Patna

विषय :- State MIS के पोर्टल पर शीर्ष- Nabard योजना अन्तर्गत एक पथ एवं एक पुल का नाम जोड़ने के संबंध में ।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि State MIS के पोर्टल पर शीर्ष- Nabard योजना अन्तर्गत एक पथ एवं एक पुल का नाम जोड़ना है। जिसकी विवरणी संलग्न की जाती है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना।

10.7.2021

RWD DIVISION PATNA (SCHEME - NABARD)												
Sl no.	Scheme	DIVISION	Assembly	Block	Sanction Year	Name of road	AA Letter no and date	Length (in Km)	Main amount (in lacs)	Maintenance amount (in lacs)	Contingency amount (in lacs)	Total (in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	NABARD	PATNA	PATNA	SAMPATCHAK	2020-21	(Construction & First Year Maintenance of Road from Kuchibura, Sanction Road to Pabna) Kuchibura, Sanction Road to Pabna	2415 date- 20.07.2020	0.564	45.199	4.098	0.0000	51.2970
2	NABARD	PATNA	PATNA	SAMPATCHAK	2020-21	NH-50 Sanction at Chhapra Pabna to Kuchibura Sanction Road to Pabna	2417 date- 20.07.2020	2x6.00x3.10 M	41.88	0.0000	0.0000	41.88

Executive Engineer
RWD, Works Division, Patna

10.7.2024
10.7.2024